न्यायालय जिला कलक्टर,जैसलमेर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह IAS
राजस्व अपील सं0 18/2021 (GCMS 2021/4)

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेण्ट
1. केंकू देवी बेवा आम्बाराम 2. जुगताराम पुत्र आम्बाराम 3. गोरधनराम पुत्र आम्बाराम 4. गणेश कुमार पुत्र आम्बाराम के कायम मुकाम– 4/1 धाई देवी पत्नी गणेश कुमार 4/2 दीपक कुमार पुत्र गणेश कुमार 4/3 खशबू कुमारी पुत्री गणेश कुमार 4/4 भगवती कुमारी पुत्री गणेश कुमार 4/58 महेश कुमार पुत्र गणेश कुमार 5. लाजवंती पुत्री आम्बाराम सर्वे जाति कुम्हार निवासी ग्राम कनोई तहसील व जिला जैसलमेर		1. किशनाराम गोद पुत्र पन्नाराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम कनोई तहसील व जिला जैसलमेर 2. राज सरकार जरिये तहसीलदार, जैसलमेर। 3. सरपंच ग्राम पंचायत डेढा। 4. पटवारी पटवार मण्डल डेढा।

उपस्थित :

1. श्री बसीर मोहम्मद (अधिवक्ता अपीलाण्ट)
2. पैरोकार राज, नायब तहसीलदार (रेस्पोडेण्ट सं. 02 व 04 की ओर से)

निर्णय

दिनांक 15.12.2025

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

अपील के संबंध में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के पूर्वज मंगलराम पुत्र आईदान जाति कुम्हार साकिन कन्नोई की कृषि भूमि ग्राम डेढ़ा में आई हुई है। जिस पर अपीलांट के पूर्व काबिज काश्त थे और मंगलाराम की मृत्यु के बाद उनके पुत्र आम्बाराम काबिज काश्त हुए और आम्बाराम की मृत्यु के पश्चात् अपीलांट ही जायज वारिसान व मालिक तथा इस भूमि पर काबिज काश्त है। मंगलाराम की मृत्यु के पश्चात् उनके उतराधिकारी राधा बेवा मंगलाराम व आम्बाराम पुत्र मंगलाराम के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुये। राधा बेवा मंगलाराम की मृत्यु के पश्चात् उनके उतराधिकारी केवल मात्र आम्बाराम पुत्र मंगलाराम का नाम ही राजस्व रेकर्ड में दर्ज होना चाहिए था परन्तु अपीलांट के पति/पिता आम्बाराम पुत्र मंगलाराम की आपत्ति के बावजूद ग्राम डेढ़ा के हाल खसरा संख्या 77 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा भूमि किस्म खड़ीन में गलत और गैर कानूनी तरीके से प्रभारी अधिकारी द्वारा नामान्तकरण स्वीकृत किया गया जिसमें राधा बेवा मंगलाराम की मृत्यु होने पर आम्बाराम के साथ उसके भाई किशनाराम का भी नाम गलत तरीके से जोड़ दिया। रेस्पोडेण्ट किशनाराम पुत्र मंगलाराम कई वर्ष पूर्व पन्नाराम पुत्र आईदानराम जाति कुम्हार के गोद गया था तब से लेकर आज दिन तक किसनाराम पन्नाराम का ही वारिस है जो स्वयं किशनाराम द्वारा द्वारा सरकारी रेकर्ड में पन्नाराम के गोद जाना व वारिस होना स्वीकार किया है। इसके राजस्व रेकर्ड, परिवार कार्ड, मतदाता सूची आदि किसनाराम पुत्र पन्नाराम नाम दर्ज है। अधिवक्ता अपीलांट ने निवेदन है कि स्वयं किसनाराम ने अपने आप को पन्नाराम के गोद जाना स्वीकार करते हुए अपनी वल्दियत पन्नाराम स्वीकार करते हुए समस्त सरकारी रेकर्ड में पन्नाराम का वारिस दिखाया है। श्रीमती राधा बेवा मंगलाराम की मृत्यु होने पर किसनाराम पुत्र मंगलाराम का नाम जोड़ा है जो सरासर गलत और गैरकानूनी होने से

जिला कलक्टर
जैसलमेर

न्यायालय जिला कलक्टर,जैसलमेर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह IAS

राजस्व अपील सं0 18/2021 (GCMS 2021/4)

अपील स्वीकार कर प्रभारी अधिकारी कैम्प–डेढ़ा के नामान्तकरण संख्या 278 को निरस्त कर रेस्पोडेण्ट संख्या 01 किसनाराम पुत्र मंगलाराम का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाये जाने का निवेदन किया गया है।

अपीलांट द्वारा अपील के संलग्न धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न कर निवेदन किया गया है कि अपीलांट अनपढ होने एवं कानून की जानकारी नहीं होने से अपील देरी को क्षम्य करते हुए अपील अन्दर म्याद स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता को तीन बार आवाजे लगाये जाने के बाद भी अनुपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट उपस्थित। अपील का निस्तारण गुणावगुण कर किये जाने का विनिश्चय कर अपील अन्दर म्याद सुमार की जाती है। प्रकरण में तहसीलदार, सम से अपेक्षित अभिलेख तलब किया गया।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा लिखित बहस में अपील में वर्णित तथ्यों एवं आधारो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट की अपील स्वीकार कर ग्राम डेढा के हाल खसरा नम्बर 77 रकबा 10 बीघा 13 बिस्वा में खोले गये नामान्तकरण संख्या 278 को निरस्त कर वादग्रस्त भूमि में रेस्पोडेण्ट का कोई कानूनन हक अधिकार नहीं होने से रेस्पोडेण्ट संख्या 01 किसनाराम का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाये जाने का निवेदन किया गया है।

उभयपक्षों के जवाब/लिखित बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। उभयपक्षों की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अपीलाधीन आलोच्य नामान्तकरण संख्या 278 खोले जाने से पूर्व उक्त विवादग्रस्त भूमि राधा बेवा मंगलाराम, आम्बाराम पुत्र मंगलराम व किशनाराम पुत्र मंगलाराम कौम कुम्हार साकिन कनोई के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज रही है। आलोच्य नामान्तकरण खातेदार राधा बेवा मंगलाराम की फौतेदगी पर खोला गया है जिसमें राधा बेवा मंगलाराम की मृत्यु होने पर शेष खातेदार आम्बाराम पुत्र मंगलराम व किशनाराम पुत्र मंगलाराम कौम कुम्हार साकिन कनोई के नाम दर्ज किए गए है। उक्त आलोच्य नामान्तकरण से किसी नये व्यक्ति का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में आलोच्य नामान्तकरण में हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है। उभयपक्ष अपना–अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

आदेश आज दिनांक 15.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

जिला कलक्टर,
जैसलमेर

जिला कलक्टर
जैसलमेर